



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032024-253276
CG-DL-E-21032024-253276

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 21, 2024/चैत्र 1, 1945

No. 211]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 21, 2024/CHAITRA 1, 1945

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2024

सा.का.नि. 225(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अनुश्रवण संघटन (संचार मंत्रालय), भर्ती नियम, 1981 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के बेतार अनुश्रवण संघटन में ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बेतार अनुश्रवण संघटन (ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं इत्यादि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद/ अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी।	1* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा अनुसचिवीय राजपत्रित समूह 'क'।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 (67700-208700 रुपये)	चयन पद	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा	प्रोन्नति: स्तर -7 में बेतार अनुश्रवण संघटन के विभागीय प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की है तथा प्रशासन और स्थापना में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या

				<p>पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2. - इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर नियमित आधार पर पोषक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा आठ वर्ष की बनी रहेगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारियों में से :-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500 रुपए) या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है; या</p> <p>(iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 (53100-167800 रुपए) या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की है; या</p> <p>(iv) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151100 रुपए) या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की है; और</p>
--	--	--	--	---

				<p>(ख) निम्नलिखित अहर्ताएं और अनुभव धारण किए हुए –</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान की उपाधि; और</p> <p>(ii) किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वाशासी निकाय या कानूनी निकाय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों में लेखा या स्थापना कार्य में पाँच वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2. - प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	--	--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-</p> <p>1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष;</p> <p>2. विशेष सचिव या अपर सचिव, - सदस्य;</p> <p>दूरसंचार विभाग</p> <p>3. निदेशक (बेतार अनुश्रवण संघटन), - सदस्य।</p> <p>दूरसंचार विभाग</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना प्रत्येक अवसर पर आवश्यक है।</p>

<p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> विशेष सचिव या अपर सचिव - अध्यक्ष; दूरसंचार विभाग बेतार सलाहकार - सदस्य; दूरसंचार विभाग निदेशक (बेतार अनुश्रवण संघटन), दूरसंचार विभाग 	
--	--

[फा. सं. ए-12018/01/2021-प्रशा. II]

सुनील कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department of Telecommunications)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th March, 2024

G.S.R. 225(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Senior Administrative Officer, Monitoring Organisation (Ministry of Communications), Recruitment Rules, 1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Administrative Officer in the Wireless Monitoring Organisation, Ministry of Communications, Department of Telecommunications, namely: -

1. **Short title and commencement.** —(1) These rules may be called the Wireless Monitoring Organisation (Senior Administrative Officer) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.** - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Scheduled annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age-limit, qualifications, etc.** -The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation to this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .** -Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Administrative Officer.	1* (2023) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Ministerial, Gazetted, Group 'A'.	Level 11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix.	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.	Promotion failing which by deputation (including short term contract).	<p>Promotion:</p> <p>Departmental Administrative Officer of the Wireless Monitoring Organisation in level – 7 with nine years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in administration and establishment.</p> <p>Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2. - The eligibility service shall continue to be eight years' for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of these rules.</p> <p>Deputation (including short term contract) :</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union Territories or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions;-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts in the parent cadre or Department; or</p>

				<p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>(iii) with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-9 (Rs. 53100-167800) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>(iv) with eight years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following qualifications and experience -</p> <p>(i) Degree of a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) five years' experience in accounts or establishment work in a Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or recognised universities or recognised Research Institutions.</p> <p>Note 1. - The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.- Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) spent in any other ex cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> Chairperson or Member, Union Public Service Commission - Chairperson; Special Secretary or Additional Secretary, Department of Telecommunications - Member; Director (Wireless Monitoring Organisation), Department of Telecommunications - Member. 	<p>consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion.</p>

Departmental confirmation committee (for considering confirmation) consisting of :-	
1. Special Secretary or Additional Secretary, Department of Telecommunications	- Chairman;
2. Wireless Adviser, Department of Telecommunications	- Member;
3. Director (Wireless Monitoring Organisation), Department of Telecommunications	- Member.

[F. No.A-12018/01/2021-Admn. II]

SUNIL KUMAR VERMA, Jt. Secy.